



पत्रांक : ॥ /वि०प्र०सं०(ल०)/व्यवसायिक परीक्षा दिसम्बर-2017

दिनांक : 31.10.17

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, लखनऊ
प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/मध्यांचल, लखनऊ/
दक्षिणांचल, आगरा/केसको, कानपुर
निदेशक (का०प्रब०एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
निदेशक (का०प्रब०एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

विषय : अभियन्ता अधिकारियों (वैद्युत एवं यांत्रिकी/जानपद संवर्ग) की व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 व 2

महोदय,

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4654-अ०प्र०-07/पाकालि/17-34-अ०प्र०-07/94 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा वैद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 4655-अ०प्र०-07/पाकालि/17-35-अ०प्र०-07/94 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा जानपद संवर्ग के अभियन्ता अधिकारियों की व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 व 2 आयोजित करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 200/रा०नि०आ०-3/न०नि०/59-17/2017, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के द्वारा दिनांक 22.11.2017 से 01.12.2017 तक समस्त जिलों के नगर निगमों, नगर परिषदों (जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद भरवारी को छोड़कर) तथा नगर पंचायतों के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान की दिनांक 22.11.2017, 26.11.2017 एवं 29.11.2017 साथ ही मतगणना का दिनांक 01.12.2017 निर्धारित की गयी है। उपरोक्त प्रस्तावित मतदान होने के कारण पूर्व में निर्धारित व्यवसायिक परीक्षा दिनांक 22.11.2017 को आयोजित करना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिसके दृष्टिगत व्यवसायिक परीक्षा की तिथि को दिनांक 22.11.2017 से बढ़ाकर दिनांक 04.12.2017 निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

(1) समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वर्ष 2017 की द्वितीय छमाही में व्यावसायिक परीक्षा दिनांक 04.12.2017 को निम्नवत् सम्पन्न किया जाना निर्धारित है :-

क्रमांक	कार्यक्रम	समय
1.	तकनीकी प्रश्न-पत्र (भाग-1 व 2)	10:00 बजे से 13:00 बजे तक
2.	लेखा प्रश्न-पत्र (भाग-1)	14:00 बजे से 17:00 बजे तक
3.	मौखिक परीक्षा (भाग-2)	14:00 बजे से
4.	मौखिक परीक्षा (भाग-1)	17:00 बजे से

(2) व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 एवं 2 का आयोजन निम्न केन्द्रों पर किया जायेगा :-

- (1) विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ
- (2) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (पूर्वांचल), विद्युत वितरण निगम लि०, मडुआडीह, वाराणसी
- (3) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (पश्चिमांचल), विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

(3) परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभियन्ता अधिकारी दिये गये प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न प्रमाण-पत्रों (अनुलग्नक-1/2/3) को भरकर तथा अपने नियन्त्रक अधिकारी से अग्रसारित कराकर निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ के पास दिनांक 25.11.2017 तक अवश्य भिजवा दें तथा उसकी प्रति, जिस केन्द्र में व्यवसायिक परीक्षा दी जानी है, वहाँ के प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/निदेशक को पृष्ठांकित की जानी होगी। अग्रसारित आवेदन-पत्र की संलग्नकों सहित व्यक्तिगत प्रति, परीक्षा केन्द्र पर साथ लाना आवश्यक है।

- (4) व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।
- (5) इस परीक्षा में उ0प्र0पा0का0लि0 में आमेलित अभियन्ता अधिकारी ही सम्मिलित हो सकते हैं।
- (6) व्यवसायिक परीक्षा भाग-2 में वही अभियन्ता भाग ले सकते हैं जिनका दिनांक 25.11.2017 तक सहायक अभियन्ता के पद पर 8 (आठ) वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो।
- (7) व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 में एक तकनीकी व एक लेखा प्रश्न-पत्र होगा तथा भाग-2 में केवल एक तकनीकी प्रश्न-पत्र होगा।
- (8) प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र हेतु अधिकतम 100 अंक तथा मौखिक परीक्षा हेतु अधिकतम 30 अंक निर्धारित किये गये हैं।
- (9) परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक तथा मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अभियन्ता अधिकारियों में व्यापक प्रसार इस प्रकार करें कि परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभियन्ताओं के प्रार्थना-पत्र **निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ- 226008** को विलम्बतम दिनांक 25.11.2017 तक अवश्य प्राप्त हो जाएं अथवा विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की ई-मेल (etiuppcl@gmail.com) पर भी भेज सकते हैं परन्तु उपरोक्त पते पर मूल रूप में प्रार्थना-पत्र भेजना/परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिनके प्रार्थना-पत्र उक्त तिथि तक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त नहीं हो पाते हैं उन्हें सम्बन्धित केन्द्र की परीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अपना प्रार्थना-पत्र सम्पूर्ण प्रमाण-पत्रों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 हेतु दो प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-2) एवं खण्डीय लेखाकार के हस्ताक्षरयुक्त (अनुलग्नक-3) तथा व्यवसायिक परीक्षा भाग-2 हेतु केवल एक प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-2) प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

संलग्नक : व्यवसायिक भाग-1/2 परीक्षा में
सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

भवदीय

(अनिल कुमार)
निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
एवं सदस्य व्यवसायिक परीक्षा

पत्रांक : 11/वि0प्र0सं0(ल0)/व्यावसायिक परीक्षा/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), शक्ति भवन, लखनऊ।
- (2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता (जानपद पारेषण), शक्ति भवन, लखनऊ।
- (3) विद्युत पारेषण मंडलों में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता।
- (4) विद्युत वितरण मंडलों/कार्य मंडलों/भण्डार मंडलों में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता।
- (5) अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।


(अनिल कुमार)
निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान
एवं सदस्य व्यवसायिक परीक्षा

व्यावसायिक परीक्षा भाग-.....

1. परीक्षार्थी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अभिज्ञान संख्या :
5. योग्यता :सम्प्रेक्षा संख्या.....
- (अ) शैक्षिक :
- (ब) तकनीकी :
6. नियुक्ति का वर्ष :
7. सहायक अभिपद पर नियुक्ति तिथि :
8. वर्तमान पद :
9. वर्तमान तैनाती स्थल (पूरे पते सहित) :
- :
- :
- :पिन कोड.....
10. मोबाइल नं० :
11. ई-मेल :
12. व्यवसायिक परीक्षा भाग-1 में उत्तीर्ण होने का वर्ष :(भाग-2 के अभ्यर्थियों के लिये)
13. कोई अन्य सूचना :

विशेष ध्यान दें :-

व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 हेतु अनुलग्नक-2 तथा 3 (खण्डीय लेखाकार एवं अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर सहित) के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं व्यावसायिक परीक्षा भाग-2 हेतु केवल अनुलग्नक-2 में वर्णित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षा केन्द्र :-

- (1) लखनऊ : समस्त अधिकारी जो मध्योच्चल/शक्ति भवन, लखनऊ/केरको, कानपुर/पारेषण(मध्य) के कार्य क्षेत्र में तैनात हैं
- (2) वाराणसी : समस्त अधिकारी जो पूर्वांचल/वि०वि०नि०, वाराणसी/मुख्य अभियन्ता, पारेषण(पूर्व) के कार्य क्षेत्र में तैनात हैं
- (3) मेरठ : समस्त अधिकारी जो पश्चिमांचल/वि०वि०नि०, मेरठ/दक्षिणवि०वि०नि०, आगरा/मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पश्चिम) एवं पारेषण(दक्षिण) के कार्य क्षेत्र में तैनात हैं।

व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 व 2 के लिये योग्यता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....अधिकांशी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ है तथा तकनीकी कार्य में निपुण हैं तथा अपने अधीनस्थों पर समुचित नियन्त्रण रखने में सक्षम है।

अधीक्षण अभियन्ता/अधिकांशी अभियन्ता
(कार्यालय मुहर)

लेखाकार्य की निपुणता का प्रमाण-पत्र (केवल व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 के लिये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... अधिकांशी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी ने दो माह का प्रशिक्षण लेखाकार्य में प्राप्त किया है तथा उन्होंने व्यावसायिक परीक्षा भाग-1 के लिये हाइडिल मैनुअल आर्डर के अनुसार आवश्यक लेखाकार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

खण्डीय लेखाकार

अधिकांशी अभियन्ता
(कार्यालय मुहर)